

कनिष्ठ सहायक के विकल्प / अनुरोध / प्रत्यावेदन पत्रों का विवरण

(ज्ञ० एस० नागच्छाल) ४
निवेशक

विकल्प—पत्र

१५२
११/०५/१८

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:— विकल्प सम्बन्धित ऐच्छिक स्थान का नाम।

क्रम सं०—

1. जिला सेवायोजन कार्यालय बागेश्वर। (अनुरोध के आधार पर— महोदय, कार्मिक के पाल्य का वर्तमान कार्यस्थल में स्कूल में दाखिला हो चुका है। अतः महोदय से निवेदन है कि कार्मिक को वर्तमान कार्यस्थल (दुर्गम) में ही सेवा करने हेतु अनुगृहीत करने की कृपा करें।)
2. नगर सेवायोजन कार्यालय, हल्द्वानी।
3. निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा।
5. जिला सेवायोजन कार्यालय, उधम सिंह नगर।
6. जिला सेवायोजन कार्यालय, नैनीताल।
7. नगर सेवायोजन, रानीखेत।
8. जिला सेवायोजन कार्यालय, हरिद्वार।
9. उपनिदेशक कार्यालय, देहरादून।
10. क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून।

दिनांक:— 04.05.2018

कार्मिक के हस्ताक्षर

नाम—ललित नारायण पाण्डेय
पदनाम—कनिं यो सहायक
तैनाती स्थान—बागेश्वर
मोबाइल नं०—9410920825

ई मेल पता—Inarayan940@gmail.com

327
15/05/18

प्रेषक,

जिला सेवायोजन अधिकारी,

उत्तरकाशी।

सेवा में,

निदेशक,

सेवायोजन विभाग,

उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

पत्रांक: 324 /ई-1 / स्थान/अधिकारी/कर्मचारी/2018

दिनांक 04.05.2018

क्रिया:- अनुरोध के आधार पर कार्यिकों के आवेदन आमंत्रण।

महोदय,

उपर्युक्त क्रियक आपके पत्रांक 137-77 / हीटीईयू / ई-1 /
स्थानाधिकारी-2017/2018-19 दिनांक 28.04.2018 के अनुक्रम से अवगत कराना है
कि इस कार्यालय का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण हेतु इच्छुक नहीं है।

भवदीय,

४५-५-१८
(विनायक श्रीवास्तव)

जिलीकालीन कार्ययोजन अधिकारी,
उत्तरकाशी
उत्तराखण्ड।

1 May 2018
M/S

बकं

निदेशक,
सेवायोजन,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

द्वारा उचित माध्यम।

विषय:-विशेष परिस्थितियों में देहरादून जिले में ही स्थानान्तरण किये जाने विषयक।

महोदय,

सादर विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उपनिदेशक सेवायोजन कार्यालय देहरादून में कनिष्ठ सहायक के यद पर 03 वर्ष 09 माह से कार्यरत है। मेरी एक मात्र पुत्री जो देहरादून में अध्यन्नरत है तथा उसकी सुरक्षा का पूर्ण दायित्व मुझ पर है यदि मेरा स्थानान्तरण देहरादून जिले से अन्य किसी जिले में किया जाता है तो पुत्री की सुरक्षा एवं अध्यन्न में बाधा उत्पन्न हो सकती है। भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्धता का संदेश दिया गया है।

अतः आदरणीय महोदय जी आपसे सादर विनम्र निवेदन है कि मेरी पुत्री के उज्जवल भविष्य एवं सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुये स्थानान्तरण एकट की धारा-17 के पैरा-2 (ख) के अनुसार ही प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की असीम कृपा करें, इस उपकार हेतु मैं एवं मेरा परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा।

दिनांक :—14.05.2018

भवदीय

(गुरमीत सिंह)

कनिष्ठ सहायक

उपनिदेशक सेवायोजन कार्यालय

देहरादून

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

246
11/05/18

विषय: अनुरोध के आधार पर आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक:- 137-77/डीटीईयू /ई-1 /स्थाना० अधि०-2017/2018-19 दिनांक 28 अप्रैल 2018 के क्रम में सादर निवेदन है कि स्थानान्तरण एकट की धारा-17ख के बिन्दु संख्या छः के अनुसार दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध है। मैं अपने परिवार का एकमात्र पुत्र हूँ एवं मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे घर पर वृद्ध माता पिता होने के कारण उनकी एवं पत्नी, बच्चों की पूर्ण जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे माता पिता का स्वास्थ खराब रहता है। यदि मेरे स्थानान्तरण हो जाता है तो मेरे घर परिवार एवं बच्चों के समक्ष कठिनाईया उत्पन्न हो जाती है।

महोदय, स्थानान्तरण सत्र एवं मेरे द्वारा अनुरोध पर किये गये विचार पर प्राथमिकता के आधार पर मुझे (दुर्गम से दुर्गम) जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ से जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में कनिष्ठ सहायक के पद पर करने की महति कृपा करें। जिससे मेरे परिवार के समक्ष कठिनाईया उत्पन्न न हो सके, उनकी देख रेख कर सकूँ एवं मेरी कार्य क्षमता भी प्रभावित न हो सकें। मैं आपका आजन्म आभारी रहूँगँ।

दिनांक 01 मई 2018

प्रार्थी
Abulyal

(अजय पल्याल)

कनिष्ठ सहायक

जिला सेवायोजन कार्यालय,
पिथौरागढ़।

AD/COO/9060

16/5/18

विकल्प - पत्र

~~अनुरोध के अधीन~~

~~223~~
~~11/15/18~~

निष्ठाक महोदय
त्रिपाल विजयी हल्कानी (नीरीतक)
उत्तराखण्ड

कांसा ३ शिरीग सेवपोपन भूमिका १० द्वारा
१ शिरीग सेवपोपन भूमिका १० द्वारा
२ शिरीग सेवपोपन भूमिका १० द्वारा

ଅନ୍ତିମ ଉପରେ କାହାର ପାଦରୁଷ୍ଣ ପାଦରୁଷ୍ଣ

10-3-2018

~~(B) G file~~

man ab 190 H⁸T¹⁰

for a few days.

417166920

• 18 - *var. sordida*

12:31 AM

सेवा में,

निदेशक, सेवायोजन
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

24/3/18
11/05/18

विषय— अनुरोध के आधार पर आवेदन।


महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 137-77/डीटीईयू/ई-1/स्थाना० अधि०-2017/2018-19 दिनांक 28 अप्रैल 2018 के क्रम में सादर अनुरोध करना है कि स्थानान्तरण एकट की धारा-17 ख के बिन्दु संख्या ४ के अनुसार दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध है। महोदय मेरे घर मे मेरी 62 वर्षिय वृद्ध माता हैं तथा मेरा बड़ा भाई केन्द्र सरकार की सेवा में मुम्बई मे कार्यरत है तो मेरी माता एंव मेरे परिवार की देखरेख की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। महोदय, मेरी माता का स्वस्थ्य निरन्तर खराब रहता है तथा मेरे द्वारा मेरे पुत्र का नामांकन इसी वर्ष विद्यालय में कराया गया है। यदि मेरा स्थानान्तरण हो जाता है तो मेरे घर-परिवार एंव के समक्ष कठिनाई उत्पन्न होगी।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि स्थानान्तरण सत्र एंव मेरे अनुरोध के आधार-पर विचार कर प्राथमिकता के आधार पर मुझे (दुर्गम से दुर्गम) जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़ में ही कनिष्ठ सहायक के पद पर रहने की महति कृपा करें। जिससे मेरे परिवार के समक्ष कठिनाईयां उत्पन्न न हो, उनकी देखरेख कर सकू तथा मेरी कार्य क्षमता भी प्रभावित न हो सकें। महोदय, मैं आपका आजन्म आभारी रहूंगा।

दिनांक 01 मई 2018

प्रार्थी


(प्रमोद कुमार पाटनी)

कनिष्ठ सहायक
जिला सेवायोजन कार्यालय,
पिथौरागढ़।

AD/100/100

16/05/18

सेवा में,

✓ निदेशक,

सेवायोजन निदेशालय,

हल्द्वानी।

द्वारा:- क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी देहरादून।

विषय:- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि सेवायोजन विभाग में अनिवार्य स्थानान्तरण की प्रक्रिया गतिमान है जिसके कारण प्रार्थी भी अनिवार्य स्थानान्तरण की श्रेणी में आ रहा है। कृपया प्रार्थी की निम्नलिखित समस्याओं को मध्यनजर रखने का कष्ट करें:-

- 1- प्रार्थी के दो बालक देहरादून में उच्च शिक्षा हेतु अध्यनरत है
- 2- प्रार्थी के साथ प्रार्थी के वृद्धि पिता जी रहते हैं जो कि लगभग 84 वर्ष के वृद्ध है जो वृद्ध अवस्था होने के करण अक्सर बीमार रहते हैं उनकी देख-रेख हेतु मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है, क्यों कि मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। (आधार कार्ड की छाया प्रति)

महोदय कृपया प्रार्थी की उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुये विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के शासनादेश संख्या— 12 / xxxvi / (3) / 2018 / 20(1) / 2017, दिनांक 05 जनवरी 2018 के पृष्ठ 05 कम संख्या—07 के (घ)भाग(दो) में उल्लेख किया गया है कि एसे कार्मिक जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पुर्ण कर चुके हों को सुगम श्रेणी से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट होगी। (शासनादेश की पृष्ठ 05 की छाया प्रति)

महोदय उक्त शासनादेश के तहत प्रार्थी को स्थानान्तरण में छूट प्रदान करते हुए सुगम से सुगम में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

महोदय यह भी निवेदित है कि यदि किसी कारणवश प्रार्थी को उक्त शासनादेश के अनुसार छूट नहीं दी जा सकती है तो प्रार्थी का स्थानान्तरण दुर्गम क्षेत्र विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय जनजाति कालसी देहरादून में करने का कष्ट करें। प्रार्थी एवं प्रार्थी का परिवार आपका आजीवन आभारी रहेगा।

संलग्नक—(1) सुगम क्षेत्र की सूची

(2) दुर्गम क्षेत्र की सूची

दिनांक— 24-04-2018

AD/CAO/106

17/116

प्रार्थी
राजेन्द्र मिस्त्री

कनिष्ठ सहायक

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून।

सेवामें,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,(नैनीताल)।

विषयः— स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 137-77/डीईयू/ई-1/स्थाना०अधि०-२०
17/2018-19/दिनोंक 28 अप्रैल 2018 के अनुपालन में प्रार्थी स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण
चाहता है, प्रार्थी वर्तमान में निदेशालय हल्द्वानी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यस्त है। प्रार्थी
की माता जिनकी आयु 66 वर्ष हैं, जिनका स्वास्थ्य प्रायः खराब रहता है हल्द्वानी में रहते हुए
माताजी देखभाल नहीं हो पा रही है, माताजी की सेवाभाव किये जाने की जिम्मेदारी मेरी है,
जबकि समय-समय पर अवकाश लेकर माताजी की देख-रेख करना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
हल्द्वानी, से चम्पावत की दूरी लगभग 200 कि०मी० है। चम्पावत में आवागमन के साधन भी
आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तथा वर्षा के दिनों में कई दिनों तक भूस्खलन एवं मार्ग
अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में हल्द्वानी से आना-जाना भी कठिन हो जाता है। प्रार्थी अल्प
वेतनभोगी कर्मचारी हैं आय का अन्य कोई साधन नहीं हैं। मेरी पुत्र एवं पुत्री चम्पावत में
अध्ययनरत हैं बच्चों के बेहतर भविष्य हेतु पिता का संरक्षण मिलना अतिआवश्यक है। इस प्रकार
दो स्थानों में परिवार का भरण पोषण करना अत्यन्त कठिन हो रहा है। यह भी अवगत कराना हैं
कि जिला सेवायोजन कार्यालय, चम्पावत में कनिष्ठ सहायक का पद स्थानान्तरण
अधिनियम-2018 में सम्भावित रिक्ति के अन्दर आ रहा है।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना हैं कि प्रार्थी की गम्भीर समस्या को ध्यान रखते हुए मानवीय आधार पर जिला सेवायोजन कार्यालय, चम्पावत या जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आप की आभारी रहेगा।

CAO) at 32 | 2) Thứ nhất

215118

~~129
2/5/18~~

भवदीय

K(Sai) 02/01/18
(कृष्णसिंह सौन)
कनिष्ठ सहायक

सेवा में,

निदेशक महोदय (सेवायोजन)
प्रशिक्षण एंव सेवायोजन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
नैनीताल।

25
15/5/18

द्वारा उचित माध्यम

विषय:- स्थानान्तरण से मुक्त रखने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

सविनय अवगत कराना है कि प्रार्थी जिला सेवायोजन कार्यालय हरिद्वार में कनिष्ठ सहायक के पद पर 4 वर्ष 2 माह से कार्यरत है। प्रार्थी की माताजी कैंसर रोग से गम्भीर रूप से पीड़ित है। मेरी माता जी का इलाज मेडीग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर में इलाज चल रहा है चिकित्सक से परामर्श हेतु उन्हें बार-बार जाना पड़ता है। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। वह भी शारीरिक रूप से कमजोर है। जिनका इलाज भी मेडीग्राम हॉस्पिटल सहारनपुर में चल रहा है (चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न)। परिवार में मेरे अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, वह पूर्ण रूप से मेरेऊपर ही आश्रित है।

अतः महोदय से निवेदन है कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुझे अनिवार्य वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम से मुक्त रखने की कृपा करें।

यदि आवश्यक हो तो प्रार्थी को यूर्झा रुड़की में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।
आपकी अति कृपा होगी।

संलग्नक: चिकित्सा प्रमाण पत्र

प्रार्थी
15/5/18
(रहीस अहमद)

कनिष्ठ सहायक
जिला सेवायोजन कार्यालय,
हरिद्वार।

294
15/5/18

सेवामें,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी,(नैनीताल)।

विषय:- स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 137-77 / डीईयू/ई-1 / स्थाना०अधि०-20 17 / 2018-19 / दिनांक 28 अप्रैल 2018 के अनुपालन में प्रार्थी स्वयं के अनुरोध पर सुगम से दुर्गम स्थानान्तरण चाहता है, प्रार्थी वर्तमान में निदेशालय हल्द्वानी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। प्रार्थी की माता जिनकी आयु 70 वर्ष की हैं, जिनका स्वारथ्य प्रायः खराब रहता है हल्द्वानी में रहते हुए माताजी देखभाल नहीं हो पा रही है, माताजी की सेवाभाव किये जाने की जिम्मेदारी मेरी है, जबकि समय-समय पर अवकाश लेकर माताजी की देख-रेख करना सम्भव नहीं हो पा रहा है। हल्द्वानी, से धारचूला की दूरी लगभग 300 किमी है। माताजी हल्द्वानी में गर्मी के कारण रहना नहीं चाहती हैं, गर्मी भी सहन नहीं कर पाती है, धारचूला में अकेली रहती है सारा काम अकेली ही करती है जिस कारण उनकी तबियत खराब हो जाती है पिछले साल भी दो बार उनकी तबियत खराब हो गयी थी। माताजी के चार आपरेशन भी हुए हैं, तथा वर्षा के दिनों में कई दिनों तक भूख्यलन एवं मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में हल्द्वानी से आना-जाना भी कठिन हो जाता हैं। प्रार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं आय का अन्य कोई साधन नहीं हैं। यह भी अवगत कराना हैं कि जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में कनिष्ठ सहायक का पद स्थानान्तरण अधिनियम-2018 में सम्भावित रिक्ति के अन्दर आ रहा है।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना हैं कि प्रार्थी की गम्भीर समस्या को ध्यान रखते हुए मानवीय आधार पर जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आप की आभारी रहेगा।

भवदीय

AD | CAO | ३०६१

२१
१०१५१८

Dinesh
(दयान सिंह नपलच्याल)
कनिष्ठ सहायक

सेवा में,

जिला सेवायोजन अधिकारी,
चम्पावत।

24B
11/5/18

विषय : अनुरोध के आधार पर आवेदन आंमत्रण।

महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी की माता जी को लीवर सम्बन्धी गंभीर रोग है। चम्पावत दूरस्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपने परिवार के देख-रेख नहीं हो पारही है। प्रार्थी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है।

अतः महोदय से प्रार्थना है कि उक्त स्थिति को देखते हुए प्रार्थी को निदेशालय, सेवायोजन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक :101/डीटीईयू/ई-1/स्थानान्तरण/ विकल्प पत्र/2018 दिनांक :20 अप्रैल, 2018 द्वारा मांगे गये विकल्प सम्बन्धित ऐच्छिक स्थानों के नाम जो इस कार्यालय के पत्रांक :460-61/0901/स्थानान्तरण/ विकल्प पत्र/2018 दिनांक :23 अप्रैल, 2018 में अंकित प्रारम्भ के तीन स्थानों के नाम जो निम्न हैं।

1— जिला सेवायोजन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर। 2— नगर सेवायोजन कार्यालय, हल्द्वानी।

3—निदेशालय हल्द्वानी (नैनीताल)।

उक्त स्थानों में से एक स्थान पर प्रार्थी का स्थानान्तरण करने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा दुर्गम क्षेत्र में 05 वर्ष, 05 माह, 01 दिन की सेवा (स्थानान्तरण एकट की धारा 20-ख के अनुसार 1.25 से गुणा करते हुए आगणित किया गया है) होने के कारण प्रार्थी दुर्गम से सुगम हेतु पात्र भी है।

भवदीय,


(प्रदीप सिंह)
कनिष्ठ सहायक
जिला सेवायोजन कार्यालय,
चम्पावत।

सेवा में,

निदेशक,
सेवायोजन विभाग
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी(नैनीताल)।

विषय: स्वयं के अनुरोध में स्वैच्छिक स्थानान्तरण चाहने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 137-77 / डीईयू/ ई-1/ स्थाना०अधि०-२०१७/२०१८-१९/दिनांक 28 अप्रैल 2018 के अनुपालन में प्रार्थी स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण चाहता है। सादर अवगत कराना है कि, प्रार्थी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 31-12-2016 को नियुक्ति हुआ था। प्रार्थी का मूल निवास सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के मुख्यालय से 40 किमी दूरी में स्थित ग्राम उसैल में है। प्रार्थी के माता-पिता गांव में ही निवास करते हैं, प्रार्थी का छोटा भाई भारतीय सेना में अरुणाचंल प्रदेश में नियुक्त होने के कारण अपने बृद्ध माता-पिता की देखभाल का दायित्व मेरे ऊपर ही है। अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु मुझे समय-समय पर अवकाश आदि लेकर जनपद पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। प्रार्थी का मूल निवास हल्द्वानी से 290 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, जिस कारण आने-जाने में ही दो दिनों का समय साथ ही काफी रूपये का खर्च हो जाते हैं। चूंकि प्रार्थी अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है, व इस आवागमन में धन व समय के व्यय के कारण प्रार्थी को शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय यह भी अवगत कराना है कि जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में कनिष्ठ सहायक का पद स्थानान्तरण अधिनियम-2018 में सम्भावित रिक्ति के तहत आ रहा है।

अतः महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि प्रार्थी की पारिवारिक परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला सेवायोजन कार्यालय, पिथौरागढ़ में स्थानान्तरण करने की कृपा करें।

प्रार्थी सदैव आपका आभारी रहेगा।

2001 भृत्या की नियमनी

2
21/5/18

प्रार्थी
Jyoti

(प्रमोद चन्द्र पाण्डेय)
कनिष्ठ सहायक
सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी

